UPST010052822026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थितः सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा

न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी01885

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1685 / 2026

1. नरसिंह यादव आयु लगभग 33 वर्ष पुत्र रूद्र प्रताप यादव निवासी ग्राम शिवनगर केरौना, थाना अमेठी, जिला अमेठी
2. जयसिंह प्रताप यादव उर्फ जयसिंह आयु लगभग 29 वर्ष पुत्र रूद्र प्रताप यादव निवासी ग्राम सरैया मोहन थाना अमेठी जिला अमेठी
3. बृजेश यादव आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र सोमई यादव निवासी ग्राम बैधिकपुर, थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी
4. सौरभ यादव आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र विजय बहादुर निवासी श्री का पुरवा टिकरी, थाना अमेठी, जिला अमेठी
5. शुभम् यादव आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र राजनरायन यादव निवासी ग्राम थौरा, थाना अमेठी, जिला अमेठी

..... प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–115 / 2026

धारा–115(2), 191(2), 351(3), 352, 309(6) बी0एन0एस0 व धारा–7 सी0एल0ए0 ऐक्ट

थाना–अमेठी, जनपद–अमेठी

दिनांकः 08.06.2026

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण नरसिंह यादव, जयसिंह प्रताप यादव उर्फ जयसिंह, बृजेश यादव, सौरभ यादव एवं शुभम् यादव की ओर से थाना–अमेठी, जनपद अमेठी के मुकदमा अपराध संख्या–115 / 2026 अन्तर्गत धारा–115(2), 191(2), 351(3), 352, 309(6) बी0एन0एस0 व धारा–7 सी0एल0ए0 ऐक्ट के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में पूर्व में किसी अभियुक्त का कोई अग्रिम / नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं हुआ है।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त सं0 1 नरसिंह यादव, प्रार्थी / अभियुक्त सं0 3 बृजेश यादव, प्रार्थी / अभियुक्त सं0 4 सौरभ यादव एवं प्रार्थी / अभियुक्त सं0 5 शुभम यादव का कोई पूर्व का आपराधिक

इतिहास नहीं है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त सं0 2 जयसिंह प्रताप यादव उर्फ जयसिंह का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1-	27/2018	188 IPC	अमेठी	अमेठी

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया तथा सम्यक रूप से उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा अनुराग प्रजापति द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 27.05.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 26.05.2026 को समय लगभग सायं 08.00 बजे आवास विकास कॉलोनी स्थित विधायक जी के निज निवास पर शेर बहादुर यादव, जय सिंह प्रताप यादव, मनु पाल, नरसिंह यादव, अनुराग यादव सहायक अध्यापक ग्राम रेभा, बलराम यादव पूर्व प्रधान ग्राम खाझा, बृजेश यादव, विपिन यादव, राजेश यादव, सौरभ यादव, शुभम यादव व अज्ञात लगभग 2 दर्जन लोग, जो काले रंग की स्कार्पियो UP36X8808, काले रंग की स्कार्पियो गाडी UP44HF4149, एक सफेद गाडी CH01CV3114, एक सफेद गाडी जिसका आखिरी प्लेट नं0 0002 एवं कई सारी मोटर साइकिल से आये और गेट पर इकट्ठा होकर वादी की माता श्रीमती महराजी प्रजापति एवं वादी के पिता श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं वादी के पूरे परिवार का नाम पुकारते हुए मां–बहन की गन्दी–गन्दी व भद्दी–भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे । वहां उपस्थित वादी के पारिवारिक सदस्य सुरेन्द्र प्रजापति एवं वादी की चाची विरोध कर बचाव में मोबाइल से वीडियो बनाने लगे तो उक्त लोगों द्वारा मोबाइल छीनकर सुरेन्द्र प्रजापति को कई थप्पड गाल पर मारे गये व कॉलर पकड़ कर ये बोले की किसी के पास शिकायत किये तो तुम्हें और तुम्हारे विधायक मंत्री व पूरे परिवार को बांके या धारदार हथियार से काट डालेंगे। हथियार हम लोगों की गाडी में है। इसके अलावा हमारे पास जानलेवा हथियार है। सुरेन्द्र जी के गाल में दर्द व सूजन काफी है। जब वादी के घर के सदस्यों द्वारा शोर मचाया गया तब आस पास के लोग इकट्ठा होने लगे। यह देखकर उपरोक्त अभियुक्तगण हथियार लहराते हुए, गन्दी गन्दी गाली, जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादी का पूरा परिवार डरा व सहमा है। वादी के पूरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है। मोबाइल घर में फेंक दिए। वादी की माता जी विधान सभा क्षेत्र

186 अमेठी से समाजवादी पार्टी की वर्तमान विधायक हैं। वादी व पूरे परिवार पर किसी भी समय हमला हो सकता है।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण शेर बहादुर यादव, जयसिंह प्रताप यादव (प्रार्थी/अभियुक्त सं0 2), मनु पाल, नरसिंह यादव (प्रार्थी/अभियुक्त सं0 1), अनुराग यादव सहायक अध्यापक, बलराम यादव पूर्व प्रधान, बृजेश यादव (प्रार्थी/अभियुक्त सं0 3), विपिन यादव, राजेश यादव, सौरभ यादव (प्रार्थी/अभियुक्त सं0 4), शुभम यादव (प्रार्थी/अभियुक्त सं0 5) व 02 दर्जन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इनकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थीगण का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण को स्थानीय थाने की पुलिस ने वादी, जो पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक का पुत्र है, के द्वारा अपमानित करने के उद्देश्य से उक्त झूठे अभियोग में नामित किया गया है और वादी के अनुचित प्रभाव में धारा 309 (6) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी करते हुए सहअभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमाण्ड प्रार्थना पत्र में विधिक प्रक्रिया का गम्भीर दुरूपयोग पाते हुए यह उल्लिखित किया है कि गिरफ्तारी मेमो में क्रमांक 13 में समस्त अभियुक्तगण के संदर्भ में ''अभियुक्तगण द्वारा समूह बनाकर हमला करना और समाज में भय व्याप्त करने के कारण'' अलग स्याही के पेन से लिखा गया है व ''मोबाइल फोन छीनने के कारण'' अलग स्याही के पेन से लिखा गया है। स्पष्ट है कि धारा 309 (6) बी०एन०एस० में गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया और न ही उक्त संदर्भ में कोई भी पर्चा काटा गया है तथा गिरफ्तारी मेमो व केसडायरी के पर्चों में वर्णित तथ्य विरोधाभाषी है और उपरोक्त आधारों का उल्लेख करते हुये विद्वान न्यायिक मजि० महोदय द्वारा सहअभियुक्तगण को व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रार्थीगण को भी गिरफ्तार करने के लिये प्रार्थीगण के घर पर दबिश दिया गया था परन्तु प्रार्थीगण के बसिलसिले रोजगार घ ार से बाहर होने के कारण पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उपरोक्त सहअभियुक्तगणों को जिस प्रकार विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये वादी मुकदमा के अनुचित प्रभाव में गिरफ्तार किया गया, उससे प्रार्थीगण को यह पूरा विश्वास है कि प्रार्थीगण को भी स्थानीय पुलिस कभी–भी उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार कर सकती है जिस कारण यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी मुकदमा की एक नाजायज गोल है जिसमें

उनके साथ चलने वाले लोग समाज में लोगों को सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म पर भी गाली देते व अपमानित करते है और वादी मुकदमा के उपरोक्त नाजायज गोल के एक व्यक्ति धीरज पाल द्वारा सहअभियुक्त शेर बहादुर यादव के विरूद्ध फेसबुक जैसे सोशल साइट पर उनके बारे में, उनका, उनकी चाची से अवैध सम्बन्ध होने तथा पत्नी के भाग जाने और हिम्मत हो तो अपने बाप के साथ उसके घर पर आने और सामना करने की बात लिखी थी, जिससे सहअभियुक्त का सामाजिक रूप से अपमान और मानहानि हुई, जिसके बावत् सहअभियुक्तगण वादी मुकदमा के घर इस आशय से गये थे कि, उपरोक्त धीरज पाल को समझा दिया जाय कि इस तरह से किसी के परिवार के बारे में अपमानजनक बातें पोस्ट न करें और सहअभियुक्त शेर बहादुर मात्र इस उद्देश्य से गये थे कि वादी मुकदमा और उनकी माता स्वयं विधायक है और समाज में सौहार्द बनाये रखना तथा क्षेत्र की जनता के चीच वैमनस्य उत्पन्न न हो, की जिम्मेदारी उन्हीं की है, परन्तु वादी मुकदमा और उपरोक्त धीरज पाल, जो कि कई गंभीर धाराओं के मुकदमों में मुल्जिम है, ने पुनः उपरोक्त सहअभियुक्त को गाली गलौज देते हुये हड़काया और अपमानित करने लगे तथा हमला करने लगे और फिर यह मुकदमा मात्र इस उद्देश्य से झूठा दर्ज कराया कि, सहअभियुक्त उनके दरवाजे पर शिकायत करने चला गया था तथा प्रार्थीगण, जो कि सहअभियुक्त शेर बहादुर यादव के साथ रहते है और उनकी राजनैतिक पार्टी में सहअभियुक्त शेर बहादुर यादव के साथ कार्यकर्ता है, को गिरफ्तार कराकर जेल भेजने और जेल भेजकर अपमानित करने के उद्देश्य से यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है जबकि प्रार्थीगण कथित घटना के समय कथित घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं थे और वादी मुकदमा, जो कथित वीडियो वायरल किया गया है, उसमें भी प्रार्थीगण कही भी दिखाई नहीं दे हे हैं। प्राथमिकी सोच विचार कर विधिक राय से विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त अभियोग की प्राथमिकी को देखने से स्पष्ट है कि प्राथमिकी में वादी मुकदमा द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी पक्ष द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाने पर अभियुक्तगण द्वारा मोबाइल छीनकर सुरेन्द्र प्रजापति को कई थप्पड़ गाल पर मारा गया तथा मोबाइल घर में फेंककर चले गये। उपरोक्त कथन से यह पूरी तरह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण व सहअभियुक्तगण का कोई भी आशय मोबाइल को छीनने या लूटने का नहीं था क्योंकि यदि ऐसा कोई कथित आशय होता तो मोबाइल छीनकर या लूटकर सहअभियुक्त मोबाइल को अपने साथ लेकर चले जाते और कथित मोबाइल को छीनने का जो भी कथन किया गया है, यदि उसे सत्य स्वीकार भी कर लिया जाय तो उपरोक्त आचरण से यह प्रमाणित होता है कि मोबाइल छीनने का उद्देश्य वीडियो रिकॉर्डिंग को रोकना मात्र था, न कि छीनना, जिससे भी धारा 309(6) बी०एन०एस०

का कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थीगण के ऊपर आरोपित धाराएं जमानतीय प्रकृति की है तथा 7 वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय है, जिस कारण वादी मुकदमा के अनुचित प्रभाव में पुलिस मात्र गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अलग–अलग स्याही से उपरोक्त धारा, की बढ़ोत्तरी की गयी है। उपरोक्त प्रकरण में कथित रूप से पीड़ित व्यक्ति की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है, जिससे भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है और धारा 309 (6) बी०एन०एस० का कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। उपरोक्त प्रकरण में 7 सी०एल०ए० एक्ट के प्रावधान जनपद अमेठी में लागू नहीं है जिस कारण उपरोक्त धारा का भी कोई अपराध प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर पर आकर वादी के पूरे परिवार को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी तथा जब वहां उपस्थित वादी के पारिवारिक सदस्य सुरेन्द्र प्रजापति एवं वादी की चाची विरोध करते हुए बचाव में मोबाइल से वीडियो बनाने लगे तो उक्त लोगों द्वारा मोबाइल छीनकर सुरेन्द्र प्रजापति को कई थप्पड गाल पर मारे गये व कॉलर पकड़ कर ये बोला गया कि किसी के पास शिकायत किये तो तुम्हें और तुम्हारे विधायक मंत्री व पूरे परिवार को बांके या धारदार हथियार से काट डालेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट में 12 व्यक्तियों को नामजद एवं दो दर्जन व्यक्तियों को अज्ञात में अभियुक्त बनाया गया है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि नामजद एवं अज्ञात अभियुक्तगण पर वर्तमान विधायक श्रीमती महाराजी प्रजापति, उनके पति गायत्री प्रसाद प्रजापति व उनके पुत्र/वादी मुकदमा अनुराग प्रजापति को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। वादी मुकदमा के पारिवारिक सदस्य सुरेन्द्र प्रजापति एवं वादी मुकदमा की चाची, जब विरोध कर रहे थे और बचाव में मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तब सुरेन्द्र प्रजापति का मोबाइल छीनकर कई थप्पड़ गाल पर मारने और यह धमकी देने का

आक्षेप है कि शिकायत करने पर विधायक मंत्री व पूरे परिवार को बांके या धारदार हथियार से काट डालेंगे।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी मुकदमा के बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0, स्वतंत्र साक्षीगण मनोज कुमार सिंह, हरिलाल प्रजापति, प्रदुम एवं सुशील कुमार के बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 से यह स्पष्ट है कि किसी साक्षी ने किसी भी अभियुक्त पर यह विशिष्ट आक्षेप नहीं लगाया है कि किस ने गाली दिया, किसने धमकी दिया अथवा किसने वादी के पारिवारिक सदस्य सुरेन्द्र प्रजापति के गाल पर थप्पड़ों से मारा।

4. करीब 36 व्यक्तियों पर यह सामान्य आक्षेप है कि उनके द्वारा वादी पक्ष से गाली–गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गयी और सुरेन्द्र प्रजापति को थप्पड़ों से मारा गया।

5. सुरेन्द्र प्रजापति की आघात आख्या के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उसे केवल एक दृश्यमान चोट आयी है, जो चेहरे के दाहिनी तरफ नीलगू निशान के रूप में है अर्थात् चेहरे के एक ही तरफ है। यदि उक्त चोटहिल को कई थप्पड़ मारे गये होते तो उसके निशान चेहरे के दोनो तरफ आते।

6. केस डायरी के पर्चा नं0–8 में यह उल्लिखित किया गया है कि घटनास्थल के आसपास लगे सी0सी0टी0वी0 फुटेज को चेक किया गया, कोई लाभप्रद जानकारी हासिल न हो सकी।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही यह स्पष्ट किया गया है कि जब वादी के पारिवारिक सदस्य सुरेन्द्र प्रजापति एवं वादी की चाची विरोध कर बचाव में मोबाइल से वीडियो बनाने लगे तो अभियुक्तगण द्वारा मोबाइल छीन लिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि घर के सदस्यों द्वारा शोर मचाने पर और आस–पास के लोगों द्वारा इकट्ठा होने पर अभियुक्तगण भागने के क्रम में मोबाइल घर में फेंक दिए। इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि मोबाइल छीनने का मुख्य कारण सुरेन्द्र प्रजापति द्वारा घटना का वीडियो बनाने से रोकना था, न कि मोबाइल की लूट करना था। किसी भी अभियुक्त पर यह विशिष्ट आक्षेप नहीं है कि किस अभियुक्त द्वारा उक्त मोबाइल फोन छीना गया था।

8. प्रार्थी/अभियुक्त सं0 1 नरसिंह यादव, प्रार्थी/अभियुक्त सं0 3 बृजेश यादव, प्रार्थी/अभियुक्त सं0 4 सौरभ यादव एवं प्रार्थी/अभियुक्त सं0 5 शुभम यादव का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त सं0 2 जयसिंह प्रताप यादव उर्फ जयसिंह के विरूद्ध मात्र एक धारा–188 भा0दं0सं0 का मुकदमा लम्बित दर्शाया गया है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम ज़मानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नरसिंह यादव, जयसिंह प्रताप यादव उर्फ जयसिंह, बृजेश यादव, सौरभ यादव एवं शुभम् यादव की ओर से थाना–अमेठी, जनपद अमेठी के मुकदमा अपराध संख्या–115/2026 अन्तर्गत धारा–115(2), 191(2), 351(3), 352, 309(6) बी0एन0एस0 व धारा–7 सी0एल0ए0 ऐक्ट के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उनमें से प्रत्येक के द्वारा मु0 50,000/–रू0 (पचास हजार रूपये) का स्वबंध पत्र व समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तों के अधीन, अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जावे :–

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होंगे, जिसमें उन्हें आरोपित किया गया है।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

दिनांकः 08.06.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code: UP 1885

मधुलिका सिंह/–

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.08 17:02:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court